संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, चतुर्थ तल, भोपाल (म०प्र०)

Tel:-(0755) 2578751 / Fax:-(0755) 2552219

क्रमाँक / 4 / शैक्ष / एच / काउं / 2010 / क्यू–अग0 भोपाल, दिनाँक 17 अगस्त, 2010

BE, PHARMACY(BPharm/DPharm), MBA, MCA

महत्वपूर्ण सूचना

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सीट ले चुके विद्यार्थियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है क्योंकि द्वितीय चरण में ऐसी संस्थाओं में प्रवेश दिया जा रहा है जिनमें प्रथम चरण की काउंसिलिंग (Upgradation सहित) के पश्चात् स्थान रिक्त हैं । प्रथम चरण की काउंसिलिंग (Upgradation सहित) में पूर्णरूप से भरी हुई संस्थाओं अथवा किसी पाठ्यक्रम (ब्रांच) में आवंटित उम्मीदवारों के Cancellation/Not Reporting/Dropout के कारण या अन्य कारणों से रिक्त रही सीटों को प्रवेश नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार चौथे चरण की संस्था स्तर की काउंसिलिंग में शामिल किया जावेगा एवं उक्त रिक्त सीटों में पूर्व में प्रवेशित उम्मीदवार अपना वर्तमान प्रवेश रद्द (Cancel) कराकर भी इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, ताकि हर स्तर से मेरिट का सम्मान हो सके।

तत्पश्चात् तृतीय चरण की काउंसिलिंग अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होंगे। इस चरण के पश्चात् भी रिक्त सीटों को चतुर्थ चरण की काउंसिलिंग से भरा जावेगा।

चतुर्थ चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होंगीः–

(1) इस राउण्ड में रिक्त सीटों को सर्वप्रथम व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर एवं तत्पश्चात् अर्हकारी परीक्षा के अंकों के आधार पर भरा जावेगा।

(2) इस चरण की काउंसिलिंग का कार्यक्रम (जोकि सितम्बर–2010 के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है) यथासमय घोषित किया जावेगा । तथा संस्थाएं उनके यहां रिक्त / ड्रापआउट सीटों की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से जारी करेंगी एवं उम्मीदवार को सीधे संबंधित संस्था में प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेना होगा।

(3) इससे पूर्व में आयोजित तीनों चरणों के प्रवेशित उम्मीदवार जो अपनी च्वाईस एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश ले चुके हैं, वे भी इस राउण्ड में अपना वर्तमान प्रवेश रद्द कराकर भाग ले सकेंगे।

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश